

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग, जयपुर

क्रमांक: एफ17(1)/1/डीईएस/भामाशाह योजना/2014/

दिनांक: 20.11.14

जिला कलक्टर
समस्त, राजस्थान।

विषय:- भामाशाह नामांकन का द्वितीय सत्यापन के संबंध में।

महोदय,

भामाशाह नामांकन प्रक्रियान्तर्गत सूचनाओं के द्वितीय सत्यापन हेतु परिपत्र-1 के परिशिष्ट-8 के पैरा संख्या-8.2.1 एवं 8.2.2 में भामाशाह नामांकन संबंधित जानकारी का विवरण सार्वजनिक जनापत्ति के लिए सार्वजनिक रूप से ग्राम पंचायत/ पंचायत समिति/ तहसील/ शहरी निकाय के वार्डों में सूचना पट्ट पर चस्पा कर आम जन से 15 दिन के अन्दर आपत्तिया आमंत्रित करने एवं प्राप्त जनापत्तियों का 5 दिवस में निस्तारण करने के निर्देश है।

इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उक्त समयावधि के स्थान पर अब 7 दिवस में जनापत्तियां प्राप्त कर उनका निस्तारण किया जाकर द्वितीय सत्यापन कराना सुनिश्चित करावें।

भवदीय

(अखिल अरोरा)

शासन सचिव, आयोजना

क्रमांक: एफ17(1)/1/डीईएस/भामाशाह योजना/2014/

दिनांक:

प्रतिलिपि-

1. निदेशक तकनीकी, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लि., जयपुर, राजस्थान।
2. उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जिला.....।
3. एसीपी (उप निदेशक), जिला.....।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग